जिले के कई थानाक्षेत्र में सट्टा पर हुई कार्यवाई : 25 आरोपी आए पुलिस की पकड़ में, 23645 रुपए नकदी जब्त

❒ जुआ-सट्टा प्रतिबंधित करने एसपी अभिषेक मीणा के निर्देशन पर चलाया गया अभियान

❒ चक्रधरनगर पुलिस की जामगांव-कोलाईबहाल में जुआ रेड कार्रवाई, 7 जुआरियों से 8390 रुपए की हुई जब्ती

रायगढ़। एसपी रायगढ़ अभिषेकमीणा द्वारा जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, अवैध शराब एवं कबाड़ पर सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया गया है।मीणा द्वारा किसी भी थाना क्षेत्र से जुआ सट्टा, अवैध कबाड़ कारोबार , अवैध शराब बिक्री की शिकायत पाए जाने पर संबंधित थाना, चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना बताया गया है। कल विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत जुआ, सट्टा के विरुद्ध अभियान स्वरूप कार्यवाही किया जा रहा है।

दिनांक 21.09.20 22 को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा सहित विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत सट्टा पट्टी लिखने वालों पर कार्यवाही किया गया है, आज देर शाम तक जिले में कुल 25 व्यक्तियों पर सट्टा की कार्यवाही करते हुए नगदी रकम ₹23,645 के साथ सट्टा सामग्री एवं सट्टा पर्ची जब्त किया गया है।

वहीं बीते रात दिनांक 22.09.2022 के 01:20 बजे थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक शनिप रात्रे के निर्देशन पर प्रधान आरक्षक दिलीप भानु के हमराह आरक्षक विक्कु सिंह ठाकुर, चन्द्र कुमार बंजारे, शांति मिरी, डोमन सिदार, श्याम सुंदर साहू द्वारा मुखबिर सूचना पर जामगांव कोलाईबहाल स्कूल मैदान में लाईट के नीचे 52 पत्ती तास से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे जुआडियान (1) सतीश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता उम्र 37 वर्ष साकिन महापल्ली थाना चक्रधरनगर (2) राहुल चौहान पिता प्रेम चौहान उम्र 30 वर्ष साकिन कोलाईबहाल थाना चक्रधरनगर (3) विजय यादव पिता हरि अर्जुन यादव उम्र 37 वर्ष साकिन महापल्ली थाना चक्रधरनगर (4) शेख शाबिर पिता मरहूम शेख कादिर उम्र 32 वर्ष साकिन जामगांव कोलाईबहाल (5) आरूष चौहान पिता शुकलाल चौहान उम्र 25 वर्ष साकिन जामगांव स्टेशन बेहरापाली (6) ललित कुमार सहिस पिता स्व. घुराउ सहिस उम्र 52 वर्ष साकिन जामगांव कोलाईबहाल (7) अजम्बर चौहान पिता सुन्दरी चौहान उम्र 35 वर्ष साकिन कोलाईबहाल को रंगे हाथों घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनके फड एवं पास से जुमला रकम 8390 रू एवं 52 तास पत्ती जप्त किया गया है। आरोपियों पर थाना चक्रधरनगर में 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई किया गया है।

क्रिकेट सट्टा पर जारी है कोतवाली पुलिस की कार्यवाही : पांच सट्टेबाज गिरफ्तार, 6700 रुपए नकद जब्त

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेकमीणा के दिशा निर्देशन पर कोतवाली टीआई मनीष नागर द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लेने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कल हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा पर कार्यवाही के पूर्वर्ती क्रम में दिनांक 22.09.2022 को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा ऑनलाइन सट्टा लेने सटोरियों के संभावना को देखते हुए टीआई मनीष नागर अपने मुखबिरों के साथ क्षेत्र में स्टाफ तैनात कर रखा गया था जिनके द्वारा मिली पुख्ता सूचना पर स्वयं टीआई मनीष नागर हमराह प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा, उत्तम सारथी, महिला आरक्षक प्रमिला महन्त के साथ शहर के संजय मार्केट, चांदमारी और महामाया मंदिर उर्दना के पास ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ले रहे आरोपियों की घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। कार्यवाही दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लेते पकड़ा गया है जिनसे लाखों रुपए का सट्टे का हिसाब पर्ची एवं नगद रकम ₹6700, मोबाइल जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में 4 (क) सार्वजनिक द्रुत अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा, उत्तम सारथी, महिला आरक्षक प्रमिला महंत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

पंचायत सचिव दौलतराम जायसवाल निलंबित

रायगढ़। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने ग्राम पंचायत गोड़िहारी, जनपद पंचायत सारंगढ़ के पंचायत सचिव दौलतराम जायसवाल को 15 वें वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण की राशि का दुरूपयोग करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अवहेलना करना तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण प्रथम दृष्टियां दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत सारंगढ़ निर्धारित किया गया है।

आईटीआई रायगढ़ में गेस्ट लेक्चरर के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । रायगढ़ नोडल अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नवीन व्यवस्यों में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर)के लिए 10 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक नियत तिथि एवं समय पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायगढ़ में आवेदन कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

आईटीआई सारंगढ़-बिलाईगढ़ में मेहमान प्रवक्ता के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला नोडल अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नवीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने के लिए मेहमान प्रवक्ता रखे जाने हेतु 10 अक्टूबर 2022 तक शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/ स्पीड पोस्ट के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवेदन कर सकते है। व्यवसाय वेल्डर, कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मैकेनिक डीजल एवं एम्पलायबिलिट स्किल अंग्रेजी भाषा संचार कौशल में एक-एक पद हेतु प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध प्रशिक्षण सत्र अगस्त 2022 से जुलाई 2023 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर)के लिए रिक्त है। इस हेतु वांछित अर्हता एवं नियम/शर्तो की पूरी जानकारी संस्था के नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते है।

स्पेशल एजूकेटर पद भर्ती के लिए 29 सितम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़ । समावेशी शिक्षा अंतर्गत स्पेशल एजूकेटर के पद पर भर्ती के लिए गत दिवस आवेदन पत्र मंगाए गए थे। निर्धारित तिथि तक 163 प्राप्त आवेदनों पत्रों का परीक्षण कर पात्र/अपात्र किया गया है। पात्रता के संबंध में 29 सितम्बर 2022 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया है। दावा-आपत्ति का निराकरण कर पात्र आवेदकों के मेरिट सूची जारी की जाएगी। दावा-आपत्ति आवेदन पत्र प्रारूप रायगढ़ जिले के वेबसाइट www.raigarh.gov.in में डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते है।

जिले में 1132.5 मिमी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 22 सितम्बर तक 1132.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 4.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1348.9 मिली मीटर, पुसौर में 1399.7, खरसिया में 1107.6, सारंगढ़ में 1335.4, बरमकेला में 999.2, घरघोड़ा में 914.1, तमनार में 1184, लैलूंगा में 1147.5, धरमजयगढ़ में 1047, सरिया में 1060.5 एवं छाल में 914 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

टेट परीक्षा में नंदेली में नकल की शिकायत जांच पर पहुंचे डीईओ आदित्य

❒ दोषी पाए जाने पर संबंधितों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायगढ़ । रविवार 18 सितंबर को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में नंदेली सेंटर में नकल कराए जाने की शिकायत करने वाले धनंजय चौहान निवासी छोटे डूमरपाली ने नंदेली परीक्षा केंद्राध्यक्ष और डयूटीरत शिक्षकों पर टेट परीक्षा में नकल कराए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत कर्ता ने इसकी शिकायत कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ से की थी। इसी तारतम्य में उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल के सख्त निर्देश पर 21 सितंबर को डीईओ आर.पी. आदित्य द्वारा शिकायत जांच पर परीक्षा केन्द्र स्थल नंदेली पहुंचकर संबंधितों से पूछताछ की। डीईओ ने पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता को भी बुलाया साथ ही उक्त परीक्षा में केंद्राध्यक्ष व ड्यूटीरत शिक्षकों को भी तलब किया। पूछताछ में प्रारंभिक रूप से गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जांच के परिणाम में यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सामुदायिक भवन में रखे टुल्लू पंप, ड्रिल, कटर व वाइब्रेटर मशीन की चोरी : दो चोर समान के साथ गिरफ्तार, पुसौर पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। पुसौर पुलिस द्वारा दिनांक 22.09.2022 को सामदायिक भवन, औरदा में रखे टुल्लू पंप, ड्रिल मशीन, कटर मशीन और वाइब्रेटर मशीन की चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी गये सारे सामान बरामद किया गया है। चोरी के संबंध में कल दिनांक 21.09.2022 को ठेकेदार कबीर चौक निवासी सुरेश मेहरा द्वारा थाना पुसौर में आवेदन देकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

रिपोर्टकर्ता सुरेश मेहरा (उम्र 47 वर्ष) दिनांक 21.09.2022 के शाम थाना पुसौर आकर थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ध्रुव को बताया कि ठेकेदारी का कार्य करता है। स्वच्छ मिशन योजना के तहत ग्राम औरदा में शासकीय पानी टंकी और नल कनेक्शन का कार्य कार्य करा रहा है। निर्माणाधीन कार्य का समस्त मशीनरी और कच्चा सामान सामुदायिक भवन औरदा में प्रतिदिन कार्य पश्चात रखा जाता है दिनांक 20/08/2022 को सामुदायिक भवन औरदा में प्रतिदिन की भांति लेबर, मिस्त्री कार्य करने के बाद सभी सामान (टिल्लू पंप, कटर मशीन, ड्रिल मशीन और वाईब्रेटर व अन्य सामान) रखकर भवन में ताला लगाकर अपने घर चले गये थे। दूसरे दिन दिनांक 21/08/2022 को सुबह साईड कार्य करने आये तो देखे सामुदायिक भवन के दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था, भवन के अंदर रखे सामान टिल्लू पंप, कटर मशीन, ड्रिल मशीन और वाईब्रेटर नहीं था जिसे कोई चोर रात में चोरी कर ले गया था। चोरी के लिखित आवेदन पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 373/2022 धारा 457, 380 IPC दर्ज किया गया। थाना प्रभारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर विश्वाल को शीघ्र माल, मुल्जिम पतासाजी का निर्देश दिया गया। एएसआई विश्वाल हमराह स्टाफ को साथ लेकर मौका मुआयना के लिये सामुदायिक भवन औरदा पहुंचे। स्टाफ द्वारा गांववालों से पूछताछ कर मुखबिरों से जानकारी लिया गया जिसमें गांव के आशीष मिर्रे और सूरज बसंत को रात्रि संदिग्ध घूमते हुये देखना बताये। तत्काल पुसौर पुलिस द्वारा दोनों संदेही आशीष मिर्रे पिता विनोद मिर्रे उम्र 19 साल, सूरज बसंत पिता शंकर बसंत उम्र 18 साल निवासी ग्राम औरदा को हिरासत में कड़ी पूछताछ किया गया , दोनों बताये कि FCI गोदाम में मजदूरी करते हैं, सामानों को चोरी करने के लिये मौके की ताक पर थे और दोनों मिलकर पिछले माह 15 अगस्त के बाद मशीनों को चोरी कर घर में छिपा कर रखे हैं। पुसौर पुलिस आरोपी आशीष मिर्रे के मेमोरेंडम पर एक टुल्लू पंप डायमंड कंपनी का कीमती ₹4500 तथा एक लोहे का ड्रिल मशीन ₹2500 तथा आरोपी सूरज बसंत से एक वाइब्रेटर मशीन कीमती ₹14950 और एक कटर मशीन कीमती ₹3000 जुमला ₹34950 का मशीनरी को जप्त कर दोनों आरोपियों को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी पुसौर सीताराम ध्रुव के नेतृत्व में शीघ्र माल पतासाजी में सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर विश्वाल, आक्षक दिनेश गोंड, किर्तन सिदार, अखिलेश कुशवाहा, दिलीप सिदार की अहम भूमिका रही है।

स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की हो सघन मॉनिटरिंग -सीईओ

❒ जिले में शिक्षा गुणवत्ता सहित समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित गतिविधियों पर समीक्षा बैठक संपन्न

रायगढ़ । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आज जिले में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक सृजन सभाकक्ष कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित हुई। उक्त बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य, जिला मिशन सामान्य समग्र शिक्षा नरेंद्र चौधरी, समग्र शिक्षा सहायक परियोजना समन्वयक, सहायक संचालक शिक्षा रायगढ़ सहित विभाग से संबंधित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही।

सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा ने समीक्षा बैठक में निर्देशित किया है कि स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति की सघनता से मॉनिटरिंग की जाए। इस हेतु शिक्षकों की उपस्थिति पंजी की छाया प्रति मंगाई जाएगी। साथ ही वीडियो कॉलिंग कर भी शिक्षकों की उपस्थिति की मानिटरिंग की जाएगी। स्कूल में देर से आने वाले शिक्षकों एवं लगातार अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्यवाही करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं शिक्षा गुणवत्ता के विकास पर विशेष जोर देने के लिए सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उक्त बैठक के एजेंडा में स्कूल निरीक्षण, समग्र रिपोर्ट कार्ड भरे जाने, बच्चों के शैक्षणिक स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति एवं अध्यापन कार्य, निष्ठा 2.0 निष्ठा 3.0,सीएसी का ऑनलाइन कोर्स, दिव्यांग बच्चों का डाटा संकलन, यू डाइस 2021-22 की जानकारी, बालवाड़ी केंद्र की जानकारी, 21 केंद्र प्रारंभ ना होने के कारण सही जानकारी, आउट ऑफ स्कूल के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के मेंटर, ईजीएल की जानकारी, विज्ञान एवं गणित क्लब हाई स्कूल/ हायर सेकेंडरी, प्राथमिक शालाओं में सीख पर चर्चा, माध्यमिक शाला/ हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी की कक्षावार दर्ज संख्या स्कूल वार जानकारी, सर्व शिक्षा आरएमएसए के स्वीकृत समस्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, जल जीवन मिशन/ वाटर हार्वेस्टिंग/ मॉडल शौचालय निर्माण की वर्तमान स्थिति, अंगना में शिक्षा के ऑनलाइन प्रविष्टि, राष्ट्रीय साधन सह एवं प्रावीण्य छात्रवृत्ति में भरे आवेदन की संख्यात्मक जानकारी, स्वच्छता पखवाड़े की जानकारी, सभी संकुल में सीएसी का नाम एवं मोबाइल नंबर, शाला प्रबंधन समिति की बैठक, कक्षा एक दो तीन की दर्ज संख्या संकुल वार, कला उत्सव के संबंध में चर्चा, उपचारात्मक शिक्षा के संबंध में चर्चा, प्राप्त आवंटन के संबंध में चर्चा, इंस्पायर अवार्ड की एंट्री आदि बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा व चर्चा की गई।

शिक्षा विभाग रायगढ़ जिले के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी

❒ स्थानांतरित कर्मचारियों को 26 सितंबर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य

रायगढ़ । कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र दिनांक 12 अगस्त 22 के द्वारा, जारी स्थानांतरण नीति वर्ष-2022 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप, प्रभारी मंत्री जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अनुमोदन अनुसार शिक्षा विभाग जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पदस्थ कार्यरत प्राथमिक शाला प्रधान पाठकए सहायक शिक्षक एलबीए सहायक शिक्षक विज्ञान एलबीए लेखापालए सहायक ग्रेड.2, सहायक ग्रेड-3 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है। जारी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। स्थानांतरण आदेश की शर्तों में उल्लेखित है कि उक्त आदेश स्थानांतरण नीति वर्ष-2022 के आधार पर जारी किए गए है। स्थानांतरण आदेश ई से ई संवर्ग एवं टी से टी संवर्ग जारी किए गए हैं। यदि स्थानांतरण आदेश में ई से टी संवर्ग या टी से ई संवर्ग में किए गए हो तो ऐसे प्रकरण में स्थानांतरण आदेश शून्य माना जाएगा। अर्थात संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश प्रभावशील नहीं होगा। स्थानांतरण आदेश दिनांक 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व एक स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का जारी किया गया है। स्थानांतरण आदेश में परिविक्षाधीन/प्रतिनियुक्ति में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण शून्य माना जाएगा अर्थात संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश प्रभावशील नहीं होगा। स्थानांतरित शिक्षक के स्थानांतरण से संस्था शिक्षक विहीन/एकल शिक्षकीय होने की स्थिति में भार मुक्त ना किया जाए। स्थानांतरण जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात 26 सितंबर 2022 तक नवीन पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्य भार ग्रहण करना अनिवार्य है। उक्त समयावधि के भीतर भार मुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी स्वमेव भार मुक्त माने जाएंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पत्नी को खुदखुशी के लिए किया दुष्प्रेरित : धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 22.09.2022 को थाना प्रभारी धरमजयगढ़ उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा द्वारा नव विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मृतिका के पति आरोपी लवकुश राठिया उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम नरकालो थाना धरमजयगढ को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के अपराध (धारा 306 भादवि) में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

घटना के संबंध में दिनांक 30.08.2022 को मृतिका प्रभा राठिया (उम्र 20 साल) के पिता जलसिंह राठिया थाना धरमजयगढ़ में आकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि इसकी लडकी प्रभा राठिया का शादी फरवरी 2022 को ग्राम नरकालो के लवकुश राठिया के साथ रीति रिवाज के साथ शादी किया था जो अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही थी। उसकी बेटी अपने मायकेवालों को मोबाइल पर कॉल कर बताया करती थी कि उसका पति उसके साथ काफी गाली गलौच करता है। दिनांक 30.08..2022 के शाम लड़की की सास मोबाईल से सूचना दी कि लडकी प्रभा घर म्यार में फांसी लगा ली थी जिसे फांसी से उतारे हैं, मौत हो गया है। तब सूचना पाकर गांव के कुछ लोगों को लेकर नरकालो लड़की के घर जाकर देखा और घटना के संबंध में थाना आकर रिपोर्ट कराया , रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 81/2022 धारा 174 जा.फौ. कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही पी.एम. कराया गया। मर्ग दौरान मृतिका के मायके वाले बताये कि मृतिका पति लवकुश राठिया उसकी पत्नी को गाली गलौच करता था, उसे धमकी देता कि "तू मर जायेगी तो दूसरी शादी करूंगा"। मर्ग जांच पर प्रभा राठिया (मृतिका) को उसके पति के गाली गलौच और खुदखुशी के लिए उत्प्रेरित करने से क्षुब्द होकर दिनांक 30.08.2022 को अपने घर के म्यार में रस्सी से फांसी लगाकर फौत हो गई। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा मर्ग जांच पर आरोपित महिला के पति के विरूद्ध दिनांक 21.09.2022 को धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी लवकुश राठिया स्व0 अनुप राठिया उम्र 22 वर्ष ग्राम नरकालो धर्मजयगढ़ रायगढ़ के फरार होने के पूर्व दबिश देकर पकड़ा गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

गांवों को सुपोषित करने की दिशा में सरपंचों को दिया गया प्रशिक्षण

❒ कुपोषण के कारण एवं उसके बचाव के लिए सरपंचों को दिए गए टिप्स

❒ यूनिसेफ , एमएसएसवीपी एनजीओ एवं महिला बाल विकास ने संयुक्त रूप से आयोजित किया पोषण अभियान प्रशिक्षण

रायगढ़ । सुपोषण अभियान के अंतर्गत आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुपोषित ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अभियान के तहत गांव के सरपंचों को कुपोषण मुक्त करने की दिशा में सहभागिता के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में सरपंचों को कुपोषण के कारकों की जानकारी देते हुए उससे बचाव के उपाय बताए गए। इसके साथ ही सरपंचों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को कुपोषण से बचने प्रोत्साहित करें, जिससे गांव कुपोषण मुक्त हो सके।

प्रशिक्षण में कुपोषण के बारे में मिथक व गलत धारणायें, स्थिति, दुष्प्रभाव, परिणाम, कार्यक्रम, कार्ययोजना, सरपंच की भूमिका एवं ग्राम पंचायत को सुपोषित करने की दिशा में आवश्यक पहल पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। प्रशिक्षक द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह धारणा होती है कि बच्चे जन्म के पश्चात कुपोषित होते है, जबकि यह मां के गर्भधारण से भी हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुपोषण को गंभीर स्थिति नहीं मानी जाती, जबकि यह गंभीर समस्या है। इस दौरान उन्होंने यह भी इंगित किया कि नवजात बच्चों को मां का ही दूध सेवन करवाया जाए। जो कि शिशु को बीमारियों से लडऩे की शक्ति प्रदान करता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह होना, नवजात बच्चों के कुपोषण का मुख्य कारण सामने आ रहे है। इसके साथ ही उम्र के साथ सही पोषण न मिलना, अज्ञानतावश कुपोषण के चपेट में किशोरी एवं बच्चे आ रहे है। जिसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गांव की कुपोषण की दर की समीक्षा की जाए। उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए पोषक आहार उपलब्ध कराकर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इस दौरान सरपंचों ने अपने ग्राम पंचायत को शत-प्रतिशत सुपोषित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों में अपनी सहयोग देने की बात कही।

कुपोषण एवं एनेमिया की रोकथाम के लिए करें उपाय- जन्म के बाद से 5 साल में बच्चों को 7 प्रकार के टीकाकरण अवश्य लगवायें। जो बच्चों को 15 प्रकार की बीमारियों एवं संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा वर्ष में दो बार कृमिनाशक गोलियों का सेवन करवायें। कुपोषण का आंकलन करने के लिए 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों का वजन और ऊंचाई नापा जाए इसके साथ ही गंभीर कुपोषण वाले बच्चों का इलाज समुदाय या पोषण पुनर्वास केन्द्र में करवाना सुनिश्चित करें। एनिमिया से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं घर से हर हफ्ते आयरन सिरफ की खुराक दिलाएं। 49 आयु वर्ग तक की सभी महिलाएं एनीमिया से बचाव के लिए आयरन युक्त भोजन जैसे हरी सब्जियां एवं सप्ताह में आयरन टेबलेट का सेवन करें। शासन द्वारा सुपोषण एवं एनीमिया के दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में शामिल होकर उसका लाभ उठायें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480